न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न0– 172/2021 — दर्ज दिनांक : 02.07.2021
जी.सी.एम.एस. न. 2021/409 — निर्णय दिनांक : 25.04.2022

जाकीर हुसैन — बनाम — मो0 जबार वगै0

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2021 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम केड पटवार हल्का केड के भूमि ख.नं. 182 रकबा 0.8700 है0 का वादी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार गुढागौडजी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 01.09.2021 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) गुढागौडजी से पत्र कमांकः– भू0अ0/2022/592 दिनाक 16.03.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर वादी की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर वादी सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.03.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.03.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/4/22
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:40:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न0– 172 / 2021 — दर्ज दिनांक : 02.07.2021
जी.सी.एम.एस. न. 2021 / 409 — निर्णय दिनांक : 25.04.2022
जाकीर हुसैन बनाम मो0 जबार वगै0

दावा विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी** ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...–..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.03.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.03.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज..–............निल........ .... मुबलिक –.............निल................. दाबन.–...............................निल.................. ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –..................निल................ फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –.................निल..................... . का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 04 सन 2022 को जारी की गई।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

25/4/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:40:29 IST
Reason: SelfAttested